निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 35 / 2024
दायरा दिनांकः—31.07.2024
निर्णय दिनांकः— 18.12.24

उनवान

दिनेश राव आयु 52 वर्ष प्रभुलाल जाति राव निवासी बल्हारपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 18.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अखिलेख शर्मा — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के पिता प्रभुलाल व प्रार्थी कि बुआ निहाल बाई व प्रार्थी के काका शंकरलाल के शामलाती भूमि वाके ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 184 रकबा खसरा नम्बर 14 रकबा 4.6539 है0 व खसरा नम्बर 19 में रकबा 0.2909 है0 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 4.9448 स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता की जाति बहरूपिया दर्ज जमाबन्दी है इसके अलावा सहखातेदार निहाल बाई शंकरलाल की जाति भी बहरूपिया दर्ज जमाबन्दी में पुर्व से चली आ रही है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उपरोक्त वर्णित आराजी का इन्तकाल वारिसान के नाम खुलवाना चाहता है तथा उपरोक्त खातेदारान की जाति बहरूपिया में संशोधन करवाकर राव दर्ज करवाना चाहता है चुकि बहरूपिया जाति किसी भी अनुसुची व गजट में नही है तथा प्रार्थी के पिता व पूर्वजो की जाति राव है इसलिए उक्त आराजीयात में जाति संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित आराजी में जाति बहरूपिया दर्ज होने से प्रार्थी को अनेकानेक असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा कई बार जाति शुद्धि बाबत् राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का सुझाव दिया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 148 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति राशन कार्ड फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2024 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा में स्थित है। जो शामलाती खाते की है उक्त आराजह में प्रार्थी के पिता की जाति बहरूपिया दर्ज है। तथा अनय सह खातेदारों की भी जाति बहरूपिया दर्ज है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो गई है मृत्यु के उपरान्त फोती नामान्तरण वारिसान के नाम खुलवाना चाहतें है परन्तु जाति बहरूपिया होने के कारण नामान्तरण खोलने में परेशानी आ रही है। प्रार्थी बहरूपिया के स्थान पर राव दर्ज करवाना चाहता है बहरूपिया किसी भी अनुसुचित व गजट नोटिफिकेशन में नही है प्रार्थी के पिता व पूर्वजो की जाति राव है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जाति बहरूपिया के स्थान पर राव दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी की जाति राजस्व रिकार्ड में गलत होने से कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बलहारपुर सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 148 में निहाल बाई पुत्री प्रभुलाल पुत्र शंकरलाल पुत्र राधाकिशन जाति बहरूपिया दर्ज रिकार्ड है फोटो प्रति आधार कार्ड दिनेश राव पुत्र गणेश खेर निवासी कोटा दर्ज है फोटो प्रति राशन कार्ड प्रभुलाल राव ग्राम बल्हापुर दर्ज है जाति प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2024 के अनुसार दिनेश राव अंकित है जो अन्य पिछडा वर्ग में आती है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबअडा से जॉच रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने जॉच रिपोर्ट में ग्राम बल्हारपुर के खसरा नम्बर 14 रकबा 4.6539 है0 खसरा 19 रकबा 0.2909 है0 कुल 2 किता रकबा 4.9448 है भूमि निहाल बाई पुत्री राधाकिशन हिस्सा 1/3 प्रभुलाल पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/3 शंकरलाल पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/3 सा0देह बडोदिया हाल बल्हारपुर माफियात रिज्युमशन दर्ज है जिसमें उक्त भूमि में सभी सहखातेदारान की जाति बहरूपिया दर्ज है ग्राम बल्हारपुर के गत राजस्व रिकार्ड से जॉच की गई खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्ज भूमि मे प्रार्थी के पिता/दादा की जाति भी बहरूपिया दर्ज है बन्दोबस्त से वर्तमान तक प्रार्थीगण की उक्त भूमि में जाति बहरूपिया ही दर्ज चली आ रही होना बताया है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पिता की जाति बहरूपिया है। प्रार्थी के खाते में जाति बहरूपिया दर्ज रिकार्ड है जो सेटलमेन्ट से ही दर्ज चली आ रही है। यह विचारनीय है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार से संबंधित है जाति में परिवर्तन का मामला इस धारा के क्षैत्राधिकार में नही आता। चुंकि राज्य सरकार द्वारा अशोभनीय नामों में सुधार की अनुमति धारा 136 के अन्तर्गत प्रदान की गई है परन्तु इस प्रकरण में जाति बहरूपिया से राव

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है न कि अशोभनीय नाम में परिवर्तन। अतः धारा 136 एल0आर0एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)